



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-यू.पी.-अ.-23082025-265659
CG-UP-E-23082025-265659

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3752]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 22, 2025/श्रावण 31, 1947

No. 3752]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 22, 2025/SHRAVANA 31, 1947

रेल मंत्रालय

[उत्तर मध्य रेलवे (इंजीनियरिंग विभाग)]

अधिसूचना

प्रयागराज, 14 अगस्त, 2025

का.आ. 3857(अ).—केन्द्र सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) एवम रेलवे (संशोधन) अधिनियम (2008 का 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उपधारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र असाधारण, भाग— II खण्ड 3, उप खण्ड (ii) प्राधिकार से प्रकाशित अधिसूचना संख्या 1813 दिनांक 24 अप्रैल 2025 में भारत सरकार के रेल मंत्रालय (इंजीनियरिंग विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ. 1846(अ) दिनांक 22 अप्रैल 2025 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को मध्य प्रदेश राज्य के रीवा जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात् मानिकपुर—नैनी रेलवे स्टेशन मध्य समपार संख्या 413 ग्राम— बरहा, तहसील—त्योथर, पर आर.यू.बी. के निर्माण के बाबत ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी,

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उपधारा (4) के अधीन “दैनिक समाचार पत्रों” अर्थात् दैनिक जागरण रीवा, पत्रिका सतना एवं टाइम्स आफ इंडिया भोपाल में दिनांक 01 मई, 2025 को प्रकाशित किया गया था,

और कोई भी आक्षेप प्राप्त नहीं हुआ था,

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप धारा (1) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जायेगी;

और यह कि केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि राज पत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जायेगी।

अनुसूची

मानिकपुर—नैनी रेलवे स्टेशन के मध्य “विशेष रेल परियोजना” समपार संख्या 413 ग्राम— बरहा, तहसील—त्योथर पर आर.यू.बी. के निर्माण के बाबत आने वाली अवसंरचना सहित या रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

क्रम संख्या	ग्राम का नाम	गाटा संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	अर्जित भूमि (हेक्टेयर में)	प्रभावित परिसंपत्ति	भूस्वामी का नाम (श्री/ श्रीमती)
1	बरहा	980/8	निजी	कृषि	0.072	निल	नरेश प्रताप सिंह, पिता इन्द्रजीत सिंह
2	बरहा	980/7	निजी	कृषि	0.072	निल	षत्रुधन सिंह, पिता इन्द्रजीत सिंह
3	बरहा	987/8	निजी	कृषि	0.176	निल	नरेश प्रताप सिंह, पिता इन्द्रजीत सिंह
कुल योग —					0.320		

[No. ई—फाईल नंबर : NCR फा. सं. NCR -HQ0ENGG (CORR)/12/2024-O/o Dy.CE/Br./L/ALD
(कंप्यूटर नंबर 115593)]

जे. सी. चौरसिया, प्रमुख मुख्य इंजीनियर

MINISTRY OF RAILWAYS
[North Central Railway (Engineering Department)]

NOTIFICATION

Prayagraj, the 14th August, 2025

S.O. 3857(E).— Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (North Central Railway Engineering Department, notification no. S.O 1846 (E) dated 22 April, 2025 published in Gazette of India, extraordinary, Part II, Section 3, Sub section (ii), notification no. 1813 dated 24 April 2025 (hereinafter referred to as the said notification) and issued under sub-section (1) of clause 20A of section 2 of the Railways Act 1989 (24 of 1989) and Railways Amendment act 2008 (11 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the Land specified in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution of special Railway Project namely, “Elimination of manned level crossing No. 413 by providing RUB in Manikpur-Naini Railway Stations of Prayagraj Division”, District Rewa in the state of Madhya Pradesh;

And whereas, the substance of the said notification was published in daily news paper namely, Dainik Jagran-Rewa, Patrika -Satna and Times of India Bhopal Dated 01 May, 2025 under sub-section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, no any objection was received,

And whereas, in pursuance of sub-section (I) of section 20E of said Act, the Competent authority has submitted its report to the Central Government.

Now therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (I) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the schedule annexed here to shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette, the Land specified in the schedule annexed here to shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired, with or without structure, for the special Railway Project namely “Elimination of manned level crossing No. 413 by providing RUB in Manikpur-Naini Railway Stations of Prayagraj Division”, Village- Baraha, Tahsil- Teonthar, District Rewa in the state of Madhya Pradesh.

S.N.	Name of village	Gata No.	Type of Land	Nature of Land	Acquired area (In Hec.)	Effectuated Assets	Name of Land Owner (Shri/Smt)
1	Baraha	980/8	Private	Agriculture	0.072	Nil	Naresh Pratap Singh, Father Indrajit Singh
2	Baraha	980/7	Private	Agriculture	0.072	Nil	Satrudhan Singh, Father Indrajit Singh
3	Baraha	987/8	Private	Agriculture	0.176	Nil	Naresh Pratap Singh, Father Indrajit Singh
Grand Total					0.320		

[No. e-file No. NCR F. No. NCR -HQ0ENGG (CORR)/12/2024-O/o Dy.CE/Br./L/ALD (Computer No. 115593)]

J.C. CHAURASIA, Principal Chief Engineer